106

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0अली**

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1053–एक/2001 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–03–2001 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा प्रकरण क्रमांक–130/अपील/90–91

.....

रामशरण तनय जैतलाल साहू
निवासी–ग्राम रम्पा, तहसील सिंगरौली
जिला–सीधी(म0प्र0)

————आवेदक

विरूद्ध

1– स्व0 रामकिशुन के वारिसान–

1. गुल्लु पुत्र स्व0 रामकिशुन
2. गौरेलाल पुत्र स्व0 रामकिशुन

निवासीगण–रम्पा, तहसील सिंगरौली
जिला–सीधी(म0प्र0)

————अनावेदकगण

.....

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री रामसेवक शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14-11-17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–03–2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षेप तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम रम्पा स्थित विवादित भूमि आराजी नम्बर पुराना 213 रकबा 2.47 एवं नया सर्वे नं0 243 रकबा 0.71 एकड़ में बन्दोबस्ती के दौरान हुये त्रुटि सुधार किये जाने हेतु अनावेदक द्वारा नायब तहसीलदार सिंगरौली के समक्ष संहिता की धारा 115–116 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया । नायब तहसीलदार ने दिनांक 24.03.1990 से अनावेदक के पक्ष में आदेश पारित किया । इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकार सिंगरौली के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । जहॉ अनुविभागीय अधिकारी ने नायब तहसीलदार के आदेश को विधि के विपरीत मानते हुये दिनांक 11.02.1991 से निरस्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त रीवा ने प्रकरण क्रमांक 130/अपील/1990–91 पर पंजीबद्ध कर दिनांक 29.03.2001 से अपील स्वीकार की तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया । इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई ।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा तर्क प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेखों के आधार पर किया जा रहा है।

4/ उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि आराजी नम्बर पुराना 213 रकबा 2.47 एकड़ एवं नया सर्वे नं0 243 रकबा 0.71 एकड़ पर निरंतर अनावेदक का कब्जा चला आ रहा था, किन्तु बन्दोबस्त कार्यवाही के दौरान उक्त खसरा में त्रुटिवश आवेदक का नाम दर्ज हो गया था, जिसे दुरूस्त कराने हेतु अनावेदक ने संहिता की धारा 115–116 के तहत खसरा सुधार किये जाने का आवेदन नायब तहसीलदार सिंगरौली के समक्ष दिया गया था, जिस पर से नायब तहसीलदार ने आदेश दिनांक 24–03–1990 के द्वारा खसरा सुधार किये जाने का आदेश दिया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से विदित होता है कि अनुविभागीय अधिकारी ने नायब तहसीलदार के आदेश को विधिसंगत न मानकर निरस्त किया है। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने

आदेश में यह निष्कर्ष निकाला है कि ग्राम रम्पा की विवादित भूमि आराजी नम्बर पुराना 213 रकबा 2.47 एवं नया सर्वे नं0 243 रकबा 0.71 एकड़ में बन्दोबस्त के दौरान आवेदक का नाम दर्ज होकर रिकॉर्ड में आया था, उक्त भूमि पर अनावेदक का कब्जा ही नहीं था । अनुविभागीय अधिकारी ने यह भी निष्कर्ष निकाला था कि अनावेदक ने विचारण न्यायालय में खसरा सुधार का आवेदन देकर आवेदक की जगह उक्त खसरा नम्बर पर अपना नाम दर्ज करा लिया, जो नियमों के प्रतिकूल है। अधीनस्थ न्यायालय ने मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 116 के तहत ऐसी नवीन प्रविष्टि की पुष्टि नहीं की जा सकती जिसका अस्तित्व ही न हो और इसी आधार पर विचारण न्यायालय के आदेश को त्रुटिपूर्ण माना है। अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि उक्त वादग्रस्त भूमि पर अनावेदक का वर्ष 1984–85 से वर्ष 1986–87 तक निरंतर का कब्जा चला आ रहा था और बन्दोबस्त के दौरान की त्रुटिवश ही उक्त खसरे में आवेदक का नाम दर्ज हो गया था । अनावेदक ने इसी त्रुटि को दुरूस्त करने के लिये ही विचारण न्यायालय में संहिता की धारा 115–116 के तहत आवेदन दिया और विचारण न्यायालय ने संहिता की धारा 115–116 के तहत उचित कार्यवाही करते हुये अनावेदक के पक्ष में आदेश पारित किया था, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया और विधि के विपरीत आदेश पारित किया है। जहॉ तक संहिता की धारा 115–116 का प्रश्न है तो मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 में भूमिस्वामी की भूमि पर अतिकामक का कब्जा दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि धारा 115 व 116 के तहत अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्ध किये जाने का प्रावधान है और नायब तहसीलदार ने उक्त प्रावधान के पालन में ही खसरा में जो गलत प्रविष्टि हो गई थी उसी को सुधार किये जाने का आदेश दिया है, फिर भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस बिन्दु पर ध्यान दिए बिना ही विचारण न्यायालय के आदेश को निरस्त करने में भूल की है। इसी कारण अपर आयुक्त रीवा ने अपने विस्तृत आदेश में पूर्ण विवेचना कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश विधि के विपरीत माना है तथा नायब तहसीलदार के आदेश को न्यायसंगत मानते हुये यथावत रखा है। अतः अपर आयुक्त के आदेश में कोई अनियमितता प्रकट नहीं होती।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 29.03.2001 यथावत रखा जाता है।

(एस0एन0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर,